



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223790
CG-DL-E-19122020-223790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4054]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 4054]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4617(अ).—भारत सरकार भूतल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2805 (अ) दिनांक 18 अगस्त 2020 जो भारत के राजपत्र असाधारण अंक अंश-II खण्ड-3, उपखण्ड (II) में प्रकाशित हुआ है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम प्रसंगित किया गया है) की धारा 3(क) की उप-धारा (1) के अधीन है, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-120 के कि०मी० 142.050 (गोह) से कि०मी० 167.465 (दाउदनगर) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण उपाबद्ध सूची में दिया गया है, एतद द्वारा ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान (हिन्दी संस्करण) दिनांक 11.09.2020 एवं "The Times Of India" (अंग्रेजी संस्करण) दिनांक 10.09.2020 को प्रकाशित किया गया था।

और जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्राप्त आपत्ति पर विचार किया गया है और उसे निस्तार कर दिया गया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-120 के कि.मी. 142.050 (गोह) से कि.मी. 167.465 (दाउदनगर) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में पड़ने वाली भूमि का ढाँचा सहित अथवा ढाँचों के बिना किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हसपुरा				
	गांव का नाम: फतेहपुर				
1	734	अन्य(डिस्ट्रिक्ट बोर्ड)	अन्य	0.011	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (७३४)
2	765	निजी	धनहर	0.012	श्यामनारायण राजवंशी पिता-रामकिशुन राजवंशी (७६५)
3	766	निजी	भीठ	0.007	रामलखन सिंह पिता-दरगाही सिंह सा.-देह (७६६)
	गांव का नाम: सिहाड़ी कलां				
4	724	निजी	धनहर	0.01	आजाद साव पिता-रामरूप साव जसप्रकाश साव वो राजेश्वर साव वो सुरेश साव पिता-रामरूप साव वो विशुनपतिया देवी पति-राजेश्वर साहु (७२४)
5	730	अन्य(गै0 आम)	करहा	0.009	करहा (७३०)
6	733	निजी	धनहर	0.015	बीबी इसरत जहाँ पति-कुर्बान हुसैन सा.-सिहाड़ी (७३३)

7	734	निजी	धनहर	0.008	ललन सिंह पिता-वासुदेव सिंह सा.- परिहारा कामता सिंह पिता स्व. रामधनी सिंह (७३४)
8	735	निजी	धनहर	0.037	सुर्देशन सिंह पिता-रामदास सिंह सा.- सिहाड़ी कला (७३५)
9	738	निजी	भीठ	0.004	रामकृत सिंह वो रामलखन सिंह पिता- भीखर सिंह (७३८)
			कुल	0.113	

[फा.सं. RW/PAT/NH/120/Goh-Daudnagar/2018/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O. 4617(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O. 2805 (E) dated 18th August, 2020 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Strengthening & Widening to 2 lane with paved shoulder from km. 142.050 to 167.465 of NH-120(Goh- Daudnagar) under NH Division Gaya in the State of Bihar.

And whereas the substance of the said notification has been published in Hindustan (Hindi Version) dated 11.09. 2020 and “The Time of India” (English Version) dated 10.09. 2020 Under sub-section (3) of section 3A of the said Act.

And whereas objections have been received and the same have been considered and complied by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land Strengthening & Widening to lane paved shoulder from km 142.050 to 167.465 of NH-120 (Goh- Daudnagar) in Aurangabad District in the State of Bihar

State: BIHAR		District: AURANGABAD			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Haspura					
Village: Fatehpur					
1	734	Common(District Board)	Other	0.011	District Board 734

2	765	Private	Dhanhar	0.012	Shyam Narayan Rajvansi S/o Ram kishun Rajvansi 765
3	766	Private	Bhith	0.007	Ramlakhan Singh S/o dargahi singh sha- Deh 766
Village: Sihari Kalan					
4	724	Private	Dhanhar	0.01	Aajad Saw S/o Ramrup saw, Jayprakash saw, Suresh saw , Rajeswar Saw S/o Ramrup saw, Vishunpatiya Devi W/o Rajeswar Sahu 724
5	730	Common(G.AAM)	Karha	0.009	Karha 730
6	733	Private	Dhanhar	0.015	Bibi Israt jaha S/o Kurwan Hussain. Sa0- Sihari 733
7	734	Private	Dhanhar	0.008	Lallan Singh S/o Basudeo Singh Sa- Parihara Kamta Singh S/o Late Ramdhani Singh 734
8	735	Private	Dhanhar	0.037	Sudashan Singh S/o Ramdas Singh sa- Sihari Kala 735
9	738	Private	Bhith	0.004	Ramkrit Singh wo Ramlakhan Singh S/o-Bhikhar Singh. 738
			TOTAL	0.113	

[F. No. RW/PAT/NH/120/Goh-Daudnagar/2018/3D]

RAJESH GUPTA, Director